नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

अधिसूचना

सं. 4/2017-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(72). —राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करती है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत राज्य कर स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

			करता है	
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता । स्पष्टीकरण,--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है ।

स्पष्टीकरण -

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(72). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(72) दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

NOTIFICATION

No. 4/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-43/2017/CT/V (72).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgasrh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the state tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government, Union Territory or any local authority	Lottery distributor or selling agent. *Explanation.*- For the purposes of this entry, lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the

				Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).

Explanation. –

(1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.